न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०
राजस्व प्रा० पत्र सं० : 129/2019 (73/2018)
GCMS NO. : 2018/00013

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. छत्रपाल सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति–रावणा राजपूत, निवासी–राबडियावास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज०।		1. विक्रमसिंह पुत्र मनोहरसिंह 2. मनोहरसिंह पुत्र दुर्गासिंह जातियान–रावणा राजपूत, निवासीगण–राबडियावास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज०। 3. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहन, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 30/09/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली राज० में सायल एवं गैरसायल की खरीदसुदा कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 30–17 बीघा, खसरा नम्बर 634 रकबा 18–13 बीघा एवं खसरा नम्बर 635 रकबा 12–04 बीघा कुल रकबा 61–14 बीघा में से वादी का 1/2 वां हक हिस्सा बनता है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है तथा गैरसायल का भी सायल के पास ही आराजी खरीद के अनुसार स्थित है तथा खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है। उक्त सम्पति राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है लेकिन मौके पर सभी खातेदार अपने हक हिस्सेनुसार काबिज काश्त है तथा बिना किसी रोकटोक के काश्त करते चले आ रहे है जिसमे सायल ने अपने हक हिस्से की आराजी को अच्छे खाद बीज मिट्टी आदि डालकर उपजाउ बनाया तथा उसके चारो तरफ मेडबन्दी तारबन्दी आदि अपने स्वयं के खर्चे से करवाई लेकिन गैरसायल सायल से रंजिश रखते है तथा उसे नुकसान पहुचाने की नियत रखते है तथा सायल द्वारा तैयार की गई फसल योग्य की गई भूमि को खूर्द बुर्द करते रहते हैं तथा उसके कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी करते रहते है। उक्त सम्पति सायल की खरीद सुदा सम्पति है जिसे बेईमानी पूर्वक हडपने की नियत से गैरसायल आए दिन किसी न किसी प्रकार से सायल को तंग व परेशान कर उसकी फसल को नुकसान पहूंचाते रहते है तथा अजनबी क्रेता को सायल की कब्जे काश्त की भूमि को बताकर बेचान हस्तान्तरण आदि करने की योजना भी [illegible] है तथा बेचान हस्तान्तरण आदि करने को उतारु है जिसे रोकने का सायल कानूनी अधिकारी [illegible] अपने हक हिस्से की जो उसके द्वारा उपजाउ बनाई गई भूमि है को अन्य रहन बे[illegible] हस्तान्तरण आदि करवाने से रूकवाने का अधिकारी होने से सायल ने विरूद्ध गैरसायलान के अपने हक [illegible] कब्जे काश्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण

सम्पति को रहन बेचान बक्स अन्य हस्तान्तरण खुर्द-बुर्द दखलन्दाजी आदि से रोकने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान् के पेश है। सायल की सम्पत्ति को गैरसायल किसी अजनबी क्रेता भू माफिया को षडयन्त्र व साजिश रचकर बेचान बक्सीस हस्तान्तरण करने को उतारू है तथा खुर्द बुर्द करने एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल करने को आमादा है तथा दिनांक 10/04/2018 को सायल को ऐलानिया कथन किया कि इस आराजी हमारी बताकर बेचान कर देगे तथा तुम्हे मौके से बेदखल कर देगे। गैरसायल संख्या एक व दो की नियतबद्ध हो चुकी है तथा सायल की सम्पत्ति को बेईमानी से हडपने की योजना बनाने एवं मौके पर खुर्द बुर्द करने एवं जरिये रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो सायल को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो सकेगी तथा सायल ऐसे अवैधानिक कार्य का मौके पर विरोध करेगा जिससे मल्टीप्लीसिठी ऑफ प्रोसिडिंग्स् होगी। इस प्रार्थनापत्र के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायल के सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित खसरा नम्बर व रकबा की कृषि आराजी के किसी भू-भाग का बेचान हस्तान्तरण वसीयत आदि अन्य हस्तान्तरण करने से गैरसायलान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे तथा सायल उक्त आराजी मे काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य खडाई, बुवाई, कटाई, निराई, गुडाई, सिंचाई आदि करे या करावे तो उसमे गैरसायलान् किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे व न ही अन्य से करावें। जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें तथा सायल को उसके कब्जे एवं उपयोग उपभोग की भूमि से बेदखल नही करे एवं वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को वाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखी जावें। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान् सादिर फरमावें। प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता जो सायल प्राप्त करने के अधिकारी हो तो दिलायी जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 1 से 3 बाद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील वादी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली पर उपलब्ध भू- अभिलेखीय दस्तावेज यथा जमाबंदी संवत् 2073-2076 ग्राम राबडियावास खाता संख्या 364 खसरा संख्या 634 व 635 में अंकित नामान्तरण संख्या 2602 एवं खाता संख्या 365 खसरा संख्या 636 में अंकित नामान्तरण संख्या 2602 के नोट की प्रविष्टियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में सायल एवं गैरसायल जरीये बेचान बतौर खातेदार दर्ज हुए। अतः सायल एवं गैर सायलान वादग्रस्त आराजी में बतौर सह-खातेदार दर्ज है। सामान्य सिद्धान्त है कि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजी में प्रत्येक सह-खातेदार की भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा व स्वामित्व माना जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण

कि वादग्रस्त आराजी में प्रथम दृष्टया प्रकरण केवल प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है। अतः यह बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** बिन्दु संख्या 01 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सह–खातेदारी की अविभाजित भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का अपने हिस्से में सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है। फलतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित नहीं होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। साथ ही चूंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी सह–खातेदार है तथा प्रत्येक सह–खातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पडेगा। जिससे अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/ वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण जिला–पाली (राज.)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

निर्णय आज दिनॉक 30/09/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण जिला–पाली (राज.)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:36 IST
Reason: SelfAttested